न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री दिनेश चन्द जैन, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 23/2017 ::

प्रार्थी :– बनाम अप्रार्थीगण :–

पर्वतसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी टेवाली कलां तहसील पाली जिला पाली (राज.)

1. स्व. मानाराम पुत्र रूपाराम के विधिक वारिश –
   1/1 केसुलाल पुत्र मानाराम
   1/2 मांगीलाल पुत्र मानाराम जातिगण जटिया निवासीगण टेवाली तहसील पाली जिला पाली (राज.)
2. ग्राम पंचायत टेवाली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत टेवाली तहसील पाली जिला पाली (राज.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित ::

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री नारायणलाल कुमावत

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 11.07.2019

यह निगरानी प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 ग्राम पंचायत टेवाली के प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 07.08.1975 की पालना में जारी पट्टा संख्या 25 दिनांक 09.08.1975 को निरस्त कराने हेतु पेश की है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस व ग्राम पंचायत टेवाली का रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी श्री पोकरलाल परिहार को बार–बार आवाजे लगाए जाने के बावजूद भी अनुपस्थित होने से गुणावगुण पर निर्णय हेतु बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम टेवाली तहसील पाली में आबादी भूमि के पास में खसरा नम्बर 31 व 40 की गौचर भूमि स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1/1 व 1/2 ने अप्रार्थी संख्या 2 से मिलावट करते हुए फर्जी तरीके से ग्राम टेवाली के खसरा नम्बर 40 किस्म गै.मु. गौचर में अपने पिता मानाराम पुत्र रूपाराम के नाम जैर निगरानी पट्टा संख्या 25 जारी करवा दिया। जो प्रारम्भ से ही शुन्य होने से निरस्त योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 मानाराम ने जैर निगरानी पट्टा भूमि का पट्टा अपने नाम जारी करने बाबत न तो कोई आवेदन किया, न की कोई नक्शा पेश किया तथा ग्राम

जिला कलेक्टर, पाली

पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियमों के तहत न तो नक्शा बनाने हेतु वार्ड पंचों की कमेटी का गठन किया, न ही एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, न ही किसी व्यक्ति के बयान दर्ज किए गए, न ही कोई मिसल कायम की गई तथा न ही इस संबंध में कोई प्रस्ताव लिया गया। ग्राम पंचायत नजूल आबादी भूमि का ही पट्टा जारी करने हेतु अधिकृत है, वह गौचर भूमि का पट्टा जारी नहीं कर सकती है, लेकिन अप्रार्थीगण ने पंचायती राज नियमों को ताक पर रखते हुए, गैर कानूनी तरीके से गौचर भूमि में विधी विरूद्ध पट्टा जारी करवा दिया। जिसे निरस्त फरमावें। प्रार्थी को जब जैर निगरानी पट्टे के संबंध में जानकारी हुई तो, उसने ग्राम पंचायत से उक्त पट्टे के संबंध में मिसल एवं पट्टे की प्रति चाही तो ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत टेवाली ने अपने पत्रांक 2016–17/स्पे. 1 दिनांक 03.03.2017 के प्रार्थी को अवगत कराया की उक्त रेकर्ड ग्राम पंचायत के रेकर्ड में उपलब्ध नहीं है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि ग्राम पंचायत ने कुटरचित तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 मानाराम के नाम जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया, जिसे निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 मानाराम के हक में ग्राम पंचायत टेवाली के प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 07.08.1975 की पालना में जारी पट्टा संख्या 25 दिनांक 09.08.1975 को निरस्त कराने हेतु निवेदन किया है, उक्त पट्टे से संबंधित रेकर्ड ग्राम पंचायत से तलब किए जाने पर ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत टेवाली ने अपने पत्रांक 2017–18/स्पे. 1 दिनांक 26.05.2017 के द्वारा ग्राम पंचायत में रेकर्ड नहीं होने बाबत अवगत कराया है। मूल रेकर्ड के अवलोकन के अभाव में जैर निगरानी पट्टे के संदर्भ में समीक्षा किया जाना संभव नहीं है, लेकिन तहसीलदार पाली के पत्रांक राजस्व/18/1678 दिनांक 26.10.2018 से स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा संख्या 25 ग्राम टेवाली के खसरा नम्बर 40 किस्म गै.मु. गोचर भूमि में जारी किया गया है। ग्राम पंचायत को नजूल आबादी भूमि में ही पट्टा जारी कराने का अधिकार है तथा ग्राम पंचायत द्वारा जो जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया, वह स्पष्टतया गोचर भूमि में जारी किया गया है। जिसे यथावत रखा जाना विधी सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत टेवाली के प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 07.08.1975 एवं इसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 25 दिनांक 09.08.1975 को निरस्त किया जाता है, साथ ही विकास अधिकारी, पाली को निर्देशित किया जाता है कि वे जैर निगरानी पट्टे से संबंधित रेकर्ड ग्राम पंचायत में

जिला कलेक्टर, पाली

उपलब्ध नहीं होने के संबंध में जांच कर दोषी कार्मिक/व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु एफ.आई.आर. एक माह के भीतर दर्ज करावाई जावें। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी, पाली एवं ग्राम पंचायत टेवाली को पालनार्थ प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश चन्द जैन)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली
17/7